

an>

title: Regarding excise duty on the gold jewellery and strike by the jewellers.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : महोदया, मगर उसका संतुष्टिजनक कोई समाधान अभी तक नहीं निकला है।

हमारे स्वर्णकार भाई और उनके साथ जुड़े हुए करोड़ों कारीगर पूरे देश में तकरीबन दो महीने से आंदोलित हैं। जैसा कि आप जानती हैं, यह सेक्टर बहुत बड़ा है। यह तकरीबन 4,50,000 करोड़ रुपए के टर्न-ओवर का सेक्टर है, जिससे करीब पांच करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। उस पर एक प्रतिशत का एवसाइज टैक्स लगा दिया गया है। इसमें मेन इश्यू अभी बता है क्योंकि सरकार ने काफी प्रयास किया है। इस पर बातचीत भी चल रही है। सरकार ने पीयूष गोयल जी को उनके साथ बातचीत करने के लिए नियुक्त किया है। उनका बंद तो अभी खत्म हो गया है, मगर अभी उन लोगों ने प्रोटेस्ट में अपनी दुकानें खोली हैं, क्योंकि दो महीने की स्ट्राइक के बाद जो छोटे कारीगर हैं, वे अपनी जीविका चलाने में सक्षम नहीं थे। मगर, बहुत-सी जो तकलीफें हैं, वे ज्यों की त्यों बरकरार हैं। तकलीफ एक प्रतिशत टैक्स की नहीं है, क्योंकि एक प्रतिशत एवसाइज टैक्स लगने से सरकार को तकरीबन 1,400 करोड़ रुपए की आमदनी होने जा रही है। अगर उस पर कस्टम टैक्स को एक प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, तो उससे सरकार को तकरीबन 2,600 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। यह एक कनरेबल सेक्टर है। इसलिए, इसे हमेशा एवसाइज एक्ट के बाहर रखा गया। आप स्वयं इसकी जानकारी रखती हैं, क्योंकि जब यू.पी.ए. के समय यह प्रस्ताव आया था, तब हम लोग उस तरफ सतारूह दल के सांसद थे, मगर विपक्ष के साथ-साथ हम लोगों ने भी इसका विरोध किया था। एवसाइज ड्यूटी को अच्छे से समझ कर इस सेक्टर में लगाने की आवश्यकता है।

एक सरकार कहती है कि यह अमीर लोगों का है, जैसा कि आप जानती हैं, इसका तकरीबन 70औं करोड़ों गांवों में होता है। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार सोने को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं। यह हमारे देश की संस्कृति से जुड़ी हुई बात है। अगर अमीर लोगों की बात है तो फिर हीरे को तराशने पर आज की तारीख में एवसाइज ड्यूटी नहीं है। हीरे को तराशने पर एवसाइज टैक्स लगाने की बात नहीं आई है। मगर, सोने पर लगाने की बात आई है। मैं यह समझता हूं कि एवसाइज टैक्स लगाने में बहुत सी व्यावहारिकताएं हैं।

माननीय अध्यक्ष : इस पर ज्यादा लम्बा आप फाइनेंस बिल के समय बोल सकते हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : महोदया, मैं बस एक उदाहरण दूंगा। उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। पुराने ज़ेवर को बदलने पर 12.5औं टैक्स लगाने की बात आई है। पुराना ज़ेवर पता नहीं किस पीढ़ी में खरीदा गया होगा? अगर आपको छोटा सा शिफर करना है तो आज के दिन छोटे-छोटे गांव में जो स्वर्णकार भाई हैं, जिनके अपने कस्टमर्स के साथ रिश्तेश्ते होते हैं, उस पर भी एक प्रतिशत टैक्स लगाने की बात आई है। इसी प्रकार से पूरा इन्वेंट्री का हिस्सा कारीगर को रखना होगा, नहीं तो उस पर एवसाइज एक्ट के माध्यम से जेल और पूरी तरह इंस्पेक्टर राज थोपने की बातें आ रही हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से पुनः निवेदन है, एक बड़ा आंदोलन हुआ था, जंतर-मंतर पर राहुल जी के नेतृत्व में हम सारे लोग गए थे, सरकार भी प्रयास कर रही है, मगर समाधान निकले। अफसरों के बजाए कारीगरों की तरफ सरकार सोचे, बड़े उद्योगपतियों के बजाए छोटे व्यापारियों की तरफ सरकार सोचे। इस प्रकार का कोई समाधान निकाले कि इंस्पेक्टर राज की तलवार इन स्वर्णकार और कारीगर भाइयों पर न लटकी रहे। ऐसा आग्रह मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री जय प्रकाश नारायण यादव को श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा उठाए गए विचार के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

â€(लवधान)

माननीय अध्यक्ष : गोपाल शेड़ी आप इस विषय पर सहयोगी बलिए।

श्री गोपाल शेड़ी (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, यह दूसरा विषय है, बहुत छोटा है।

माननीय अध्यक्ष : अभी दूसरा नहीं। बैठिए।

रमा देवी जी। बच्चों की बात है, इसलिए आपको एलाऊ कर रही हूं।